निवेदन प्रार्थी का सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया
तथा ग्राम रोल के खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.3723 हैक्टेयर
गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 151/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी खसरा नम्बर 85 रकबा 1.8858 हैक्टेयर
व खसरा नम्बर 87 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम रामी देवी पत्नि कुनाराम जाति जाट
निवासी रोल के स्थान पर रामेश्वरी पत्नी कुनाराम जाति जाट निवासी रोल शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज आधार
कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम रामी देवी पत्नि कुनाराम जाति जाट
निवासी रोल के स्थान पर रामेश्वरी पत्नी कुनाराम जाति जाट निवासी रोल दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार रामी देवी पत्नि कुनाराम जाति जाट
निवासी रोल के स्थान पर रामेश्वरी पत्नी कुनाराम जाति जाट निवासी रोल दर्ज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व
रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से
सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही
गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का
मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा रोल के खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 2.0234
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.3723 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 151/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर
गै.मु. ढाणी खसरा नम्बर 85 रकबा 1.8858 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 87 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में प्रार्थी का
नाम रामी देवी पत्नि कुनाराम जाति जाट निवासी रोल के स्थान पर रामेश्वरी पत्नी कुनाराम जाति जाट
निवासी रोल दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है।
मौजा रोल के खेत खसरा नम्बर 142 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.3723
हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 151/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी खसरा नम्बर 85 रकबा
1.8858 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 87 रकबा 2.9056 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम **रामी देवी पत्नि**
कुनाराम जाति जाट निवासी रोल के स्थान पर रामेश्वरी पत्नी कुनाराम जाति जाट निवासी रोल
दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है
कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान
का रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 12/06/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner